

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद
विविधवाद / प्रथम अपील



संख्या.....54.....

वर्ष 20.23.....

बनाम

अपीलकर्ता श्री विष्णु भगत खं उज्ज्वल,
आप-तुलसी, पं०-तिरला,
प०-खूँली, जि०-खूँली।
प्रतिवादी DSO, खूँली।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	<p style="text-align: center;">झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग कैम्प कार्यालय, खूँटी। वाद सं०-54/2023</p> <p>आज दिनांक-04.10.2023 को खूँटी परिसदन भवन में आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता, श्री बिगु भगत एवं अन्य, ग्राम-तुतटोली, पंचायत-तिरला थाना+जिला-खूँटी का कहना है कि उन्हें राशन डीलर की सचिव, श्रीमती सोरदरा देवी द्वारा राशन काट कर दिया जाता है। विरोध करने पर डीलर गाली-गलौज एवं मारपीट करने पर उतारू हो जाती है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि उक्त डीलर के पास जितने भी लाभुक हैं, उन सभी को जितने अवधि का राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है, उतने अवधि का राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान के तहत सवा गुणा अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं दिनांक-31.10.2023 तक ऐसा कर दिये जाने का प्रमाण आयोग में समर्पित करें। साथ ही उक्त कार्रवाई की वीडियोग्राफी करा कर आयोग को भेजें।</p> <p style="text-align: center;">आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें। दिनांक-31.10.2023 को रखें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div data-bbox="337 1332 642 1534" style="text-align: center;"><p>(शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p></div><div data-bbox="885 1332 1199 1534" style="text-align: center;"><p>(हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p></div></div>	